रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267831
CG-DL-E-19112025-267831

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5122] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947
No. 5122] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2025

(आय-कर)

का.आ. 5293(अ).— केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), की धारा 54 की उपधारा (2), धारा 54ख की उपधारा (2) धारा 54घ की उपधारा (2), धारा 54 (च) की उपधारा (4), धारा 54 (छ) की उपधारा (2), धारा 54छक की उपधारा (2) और धारा 54 छख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पूंजी अभिलाभ खाता (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम 1988 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा (1) के उप पैरा (3) में, "54छ" अंकों और अक्षर के पश्चात्, ",54छ क" अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 2 में,-

(i) खंड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(ड.) "निक्षेप कार्यालय" से -

(i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) में यथा परिभाषित समनुषंगी बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक की कोई शाखा या उसका शाखा कार्यालय अभिप्रेत है'; या

(ii) "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) के अधीन यथा परिभाषित कोई "बैंककारी कंपनी" अभिप्रेत है,

जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्कीम के अधीन निक्षेपकर्ता के निक्षेप को प्राप्त करने और उसके खाते को बनाए रखने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;';

(ii) खंड (च) में "54छ" अंकों और अक्षर के पश्चात् ",54छक" अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(चक) "इलेक्ट्रोनिक पद्धति" से किसी बैंक खाते के माध्यम से या निम्नलिखित पद्धतियों में से किसी पद्धति के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली के उपयोग द्वारा भुगतान अभिप्रेत है, अर्थात्:-

(क) क्रेडिट कार्ड;

(ख) डेबिट कार्ड;

(ग) नेट बैंकिंग;

(घ) आईएमपीएस(तत्काल भुगतान सेवा);

(ङ) यूपीआई (एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ) ;

(च) आरटीजीएस (वास्तविक कार्ड सकल निपटान) ;

(छ) एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण) , और

(ज) भीम (धन संबंधी भारत अंतरापृष्ठ) आधार पे ;'।

4. उक्त स्कीम के पैरा 3 में, "54छ" अंकों और अक्षर के पश्चात् , "या धारा 54छक" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

5. उक्त स्कीम के पैरा 5 में,-

(क) उप पैरा (4) में "चेक से या ड्राफ्ट से" शब्दों के पश्चात् "या इलेक्ट्रानिक पद्धति से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) यदि निक्षेप या चेक या ड्राफ्ट या इलेक्ट्रोनिक पद्धति से किया जाता है तब ऐसे चेक या ड्राफ्ट या ऐसे इलेक्ट्रोनिक पद्धति से भुगतान की वसूली किए जाने के अधीन रहते हुए अधिनियम के अधीन छूट का दावा करने के प्रयोजन के लिए निक्षेप की प्रभावी तारीख वह तारीख होगी जिसको, यथास्थिति, उप पैरा (1) या उप पैरा (5) के अधीन किए गए आवेदन के साथ चेक से या निक्षेप से या ऐसी इलेक्ट्रोनिक पद्धति से भुगतान निक्षेप कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाता है।";

(ग) उप पैरा (7) में, "चेक या ड्राफ्ट की" शब्दों के पश्चात् "या इलेक्ट्रोनिक पद्धति से निक्षेप की प्राप्ति की तारीख से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त स्कीम के पैरा 7 के उप पैरा (7) में, "अपनी पासबुक के साथ" शब्दों के पश्चात् "या खाते का इलेक्ट्रॉनिक विवरण" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त स्कीम के पैरा 9 में,-

(क) उप पैरा (1) में "पासबुक सहित" शब्दों के पश्चात् "या खाते की इलेक्ट्रानिक विवरणी सहित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उप पैरा (2) में, "पासबुक में" शब्दों के पश्चात् "या यथा लागू खाते की इलेक्ट्रानिक विवरणी में" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) उप पैरा (4) में, "उप पैरा (3) में, "के रूप में" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात् "इलेक्ट्रोनिक पद्धति या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

8. उक्त स्कीम के पैरा 10 के उप पैरा (1) में "धारा 54छ की" शब्दों, अंक और अक्षर के पश्चात् "या धारा 54छक की उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

9. उक्त स्कीम के पैरा 13 में, उप पैरा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(7)इस पैरा के अधीन प्रयोग किए जाने वाले खाते को बंद करने का विकल्प 1 अप्रैल, 2027 से ही या तो डिजिटल हस्ताक्षर या इलेक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा ।

(8) यथास्थिति, प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,-

(क) प्ररूप छ और प्ररूप ज को फाइल करने के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा;

(ख) ऐसे निर्धारण अधिकारी को यथा लागू प्ररूप छ या प्ररूप ज भेजेगा जिसकी अधिकारिता आवेदक पर है और निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमोदन किए जाने पर आवेदक को भेजेगा;

(ग) उक्त प्ररूप को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए, उप पैरा 7 में निर्दिष्ट डाटा संरचना, इलेक्ट्रोनिक सत्यापन कोड के मानक और सृजन की रीति को विनिर्दिष्ट करेगा ; और

(घ) इस प्रकार भेजे गए प्ररूप के संबंध में समुचित प्रतिभूति, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

10. उक्त स्कीम के प्ररूप क में,-

(क) "*54छ/" चिन्ह, अंकों और अक्षर के पश्चात् "*54छक/" चिन्ह, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "मांगदेय ड्राफ्ट" शब्दों के पश्चात् "/*इलेक्ट्रोनिक पद्धति से" चिन्ह और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ग) "..... पर लिखे गए मांगदेय ड्राफ्ट संख्या....., तारीख.....द्वारा" शब्दों और अक्षरों के पश्चात् "/*इलेक्ट्रोनिक पद्धति द्वारा" चिन्ह और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

11. उक्त स्कीम के प्ररूप ग में, -

(क) पैरा 2 में, "धारा 54छ/", अंकों, अक्षर और चिन्ह के पश्चात् "धारा 54छक/" अंक, अक्षर और चिन्ह अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पैरा 3 के खंड (ii) में, "मांग देय ड्राफ्ट के रूप में" शब्दों के पश्चात् "/इलेक्ट्रोनिकी पद्धति द्वारा" चिन्ह और शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

(ग) "निक्षेप कार्यालय के प्रयोग के लिए" शीर्षक के अधीन, खंड (ii) में, उप खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) आरटीजीएस/आईएमपीएस/एनईएफटी/संव्यवहार संख्या.....तारीख....." ।

[फा .सं.161/2025/फा.सं.370142/23/2024-टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण- पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम, 1988 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 724(अ), तारीख 22 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसे अधिसूचना सं. का.आ. 2553(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2012 द्वारा संशोधित किया गया था ।